न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज॰

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर ...
23.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 30.1.25 को पेश हो।	
30/1/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. मे वकील पक्षकारान प्रार्थी की द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को तां फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के अनुसार खसरा नं. 278 रकबा 2.9558 हेक्टेयर भूमि भूरा आत्मज रामचन्द्र के नाम आवंटित हुई थी। आवंटित भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों का निर्णय मूलवाद मे होना है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है रिकार्डेड खातेदारान के विरुद्ध प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है। अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	